

प्रेस नोट

18.07.2021

चोरी की 07 अदद मोबाइलफोन के साथ तीन शातिर अभियुक्त गिरफतार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मधुबन पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 18.07.2021 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुख्यबिर की सूचना पर दुबारी मोड़ से नन्हे कुमार पुत्र मंगरु राम प्रियदर्शी निवासी कसारी थाना रानीपुर, रोहित साहनी पुत्र रामपति साहनी ग्राम मीरपुर रहीमाबाद थाना मो0बाद, रोशन राजभर पुत्र रमेश राजभर निवासी बड़ागाव थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ तीनों के कब्जे से चोरी की 07 अदद स्मार्ट मोबाइलफोन तथा एक मोटरसाइकिल बरामद कर गिरफतार किया गया।

उक्त मोबाइलों में से एक चोरी की मोबाइल के सम्बन्ध में थाना मधुबन पर वादी शुभम गुप्ता निवासी दुबारी की तहरीर पर मु0अ0सं0 373/21 धारा 379 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत है। अन्य बरामद मोबाइल कि सम्बन्ध में जांच की जा रही है। पकड़े गये उक्त अभियुक्तगण एक गिरोह बनाकर मोबाइल चोरी की घटना को कारित करते हैं।

गिरफतार अभियुक्तगण—

1. नन्हे कुमार पुत्र मंगरु राम प्रियदर्शी ग्राम कसारी थाना रानीपुर जनपद मऊ।
2. रोहित साहनी पुत्र रामपति साहनी ग्राम मीरपुर रहीमाबाद थाना मो0बाद जनपद मऊ।
3. रोशन राजभर पुत्र रमेश राजभर निवासी बड़ागाव थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

बरामदगी—

1. चोरी की 07 अदद एन्ड्रोइड मोबाइल फोन।

गिरफतारकर्ता पुलिसटीम—

निरीक्षक विमल प्रकाश राय प्रभारी निरीक्षक थाना मधुबन, उ.नि. रामसकल यादव, का0 अविनाश धर दुबे, का0 राहुल यादव, का0 संदेश कुमार मौर्या, का0 दिनेश कुमार, का0 मन्तू कुमार थाना मधुबन।

ऐच्छिक ब्यूरो के सदस्यों के प्रयास से 23 मामलों में से पांच मामलों का हुआ निस्तारण—

महिला ऐच्छिक ब्यूरो की बैठक आज दिनांक 18.07.2021 रविवार को पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक मऊ सुशील घुले के निर्देशन मे हुई। इस दौरान ऐच्छिक ब्यूरो में कुल 23 मामले आए, जिसमें सदस्यों के प्रयास से 05 मामलों का निस्तारण हुआ। जिसमें एक पक्षकार सभी मतभेद भुलाकर सुलह समझौता कर विवाद समाप्त कर लिया। वही दो मामलों में पक्षकारों ने सुलह के लिए समय की मांग किया। बैठक मे 10 मामलों में एक-एक पक्ष उपस्थित तथा 6 मामलों में कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। जिसके चलते बैठक की अगली तिथि एक अगस्त 2021 नियत कर पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने का निर्देश दिया गया। ऐच्छिक ब्यूरो के सदस्यों के प्रयास से हीरालाल और अंकिता ने समझाने बुझाने पर सुलह समझौता कर आपसी विवाद समाप्त कर लिया। वही नेहा चौहान और कन्हैया, सीमा विश्वकर्मा और सुधाकर, सोनी यादव और रामाश्रम यादव तथा ऊषा और उपेंद्र यादव के मामले में पक्षकारों के बीच सहमति न होने पर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही के लिए अग्रसारित कर दी गई। वही शुभ्रा चौबे और पवन तिवारी तथा बंदना और सौरभ ने सुलह के लिए समय की मांग किया। इस दौरान 10 मामलों में एक-एक पक्षकार उपस्थित हुए तथा 06 मामलों में कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। जिसके चलते बैठक की अगली तिथि 01 अगस्त 2021 नियत कर पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने का निर्देश दिया गया। बैठक में ब्यूरो के सदस्यगण सर्वेश दूबे, विनोद

कुमार सिंह, अर्चना उपाध्यक्ष, मौलवी अरशद, महिला आरक्षी सोनी सिंह और प्रीति दूबे ने अपना योगदान दिया। इस दौरान काफी संख्या में पक्षकार व उनके परिजन उपस्थित रहे।

शांति भंग की आशंका में 27 व्यक्ति गिरफ्तार—

आज दिनांक 17.07.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा अख्तर, मैनुददीन, रियाउल, फैजान निवासीगण जसड़ा खीलवा, मो० रहमान, साकिब, जावेद, आसिफ, सफाक इन्तियाज निवासीगण थाना चिरैयाकोट, थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा जावेद निवासी जहांगीराबाद थाना दक्षिणटोला, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा लखन्दर, विपिन निवासीगण लामी, जितेन्द्र, गौतम निवासीगण झूटपुर थाना दोहरीघाट, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा सुरेन्द्र चौहान निवासी इटौरा, राजेश राजभर, बाबुलाल, रामलाल निवासीगण दुर्जपुर, धनीराम, रमेश निवासीगण ब्राह्मणपुरा थाना रानीपुर, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा लल्लन, डबलू अनिल, संदीप निवासीगण रकौली, शिवकुमार, राजाराम निवासीगण अहिलास थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।